

कार्यालय संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक गांधी स्मारक चिकित्सालय रीवा म.प्र.

निविदा



2019—2020

श्यामशाह चिकित्सा महाविद्यालय रीवा से सम्बद्ध गांधी स्मारक
चिकित्सालय / संजय गांधी स्मृति चिकित्सालय रीवा में
भर्ती मरीजों के लिये लगने वाली खाद्य सामग्री हेतु ई—निविदा
(प्रथम आमंत्रण)

कीमत रु. 5000/-
(रुपये पाँच हजार मात्र)

निविदा क्रमांक— 03 / 2019—20

ONLINE TENDER SCHEDULE

ई—निविदा विज्ञप्ति क्र. 03 / 2019—20

| SEQ NO | SCHEDULE | START DATE & TIME | EXPIRY DATE & TIME | ENVELOPES |
|--------|--|----------------------------------|-----------------------|---------------------------|
| 1 | PURCHASE OF TENDER ONLINE | 03-06-2019 11.00 AM | 24-06-2019 5.00 PM | ENVELOPE A, ENVELOPE B |
| 2 | BID SUBMISSION ONLINE | 03-06-2019 11.00 AM | 24-06-2019 5.00 PM | |
| 3 | PHYSICAL SUBMISSION OF BID DOCUMENT | 03-06-2019 11.00 AM | 25-06-2019 5.00 PM | ENVELOPE A, ENVELOPE B |
| 4 | MANDATORY SUBMISSION OPEN | 26-06-2019 12.30 PM | — | ENVELOPE A |
| 5 | TECHNICAL PROPOSAL OPEN | 26-06-2019 12.35 PM | — | ENVELOPE B |
| 6 | FINANCIAL BID OPEN | Ik`Fkd ls lwpuK nh tkosxhA | — | |

निविदा में मांगे गए दस्तावेजों की हार्ड कापी 25.06.2019 को सायंकाल 05.00 बजे तक स्पीड पोस्ट / पंजीकृत डाक / स्वयं या अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित होकर कार्यालय संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक, गांधी स्मारक चिकित्सालय रीवा म.प्र. 486001 में जमा कर सकते हैं। पोस्टल विलम्ब के लिए कार्यालय किसी भी प्रकार से जिम्मेदार नहीं होगा।

ई—मेल:— jdsupdtgmhrewa@rediffmail.com, Fax-07662—242104
संपर्क:— 07662—242104, +91—9179705483, +91—9644695933 +91—8827730393

निविदा प्रस्तुत करनें संबंधी सामान्य निर्देशः—

प्रत्येक निविदादाता को निविदा के रूप में 03 सील्ड लिफाफे ए, बी एवं सी एक बड़े आउटर लिफाफे डी में सील्ड कर प्रस्तुत करने होगे।

लिफाफा ए में रखे जाने वाले अनिवार्य दस्तावेजों की सूचीः—

1. धरोहर राशि रूपये **250000/-**-(दो लाख पचास हजार मात्र) ऑनलाईन। (सभी ऑनलाईन पेमेंट की रसीद की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।)

लिफाफा बी में रखे जाने वाले अनिवार्य दस्तावेजों की सूचीः—

1. मूल निविदा प्रपत्र हस्ताक्षर एवं सील सहित।(Online purchased)
2. फर्म/दुकान की स्थापना के पंजीयन की छायाप्रति।
3. वित्तीय वर्ष 2016–17 एवं 2017–18 (एसेसमेंट ईयर 2017–18 एवं 2018–19) का आयकर रिटर्न जमा करने की सत्यापित छायाप्रति)
4. 100.00 राशि के नान जूडिसियल स्टेम्प पेपर पर शपथ पत्र मूलतः।
5. पैन कार्ड की छायाप्रति
6. जी.एस.टी. रजिस्ट्रेशन की छायाप्रति
7. वार्षिक टर्न ओवर संबंधी प्रमाण पत्र सी.ए. द्वारा जारी। (₹ 10.00 लाख वार्षिक से कम नहीं होना चाहिये वर्ष 2018–19)

लिफाफा सी में रखे जाने वाले अनिवार्य दस्तावेजों की सूचीः—

1. पारदर्शी कन्टेनरों में सूखे सामग्रियों के नमूने एवं उसकी सूची।

ई—निविदा के नियम एवं शर्तें

1. श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय रीवा से सम्बद्ध गांधी स्मारक चिकित्सालय/संजय गांधी स्मृति चिकित्सालय रीवा में भर्ती मरीजों के लिये लगने वाली खाद्य सामग्री हेतु प्रथम ई—निविदा वर्ष 2019–20 के लिए आंमत्रित की जाती है। निविदा प्रपत्र वेबसाईट <https://mptenders.gov.in/> पर ऑनलाईन भुगतान कर कर्य किये जा सकेंगे। इसे चिकित्सा महाविद्यालय रीवा की वेबसाइट <http://www.ssmcrewa.com> में भी देखा जा सकेगा।
2. आनलाईन निविदा जमा करने की निर्धारित अवधि के पश्चात प्राप्त निविदाएँ स्वीकार नहीं की जावेगी। आनलाईन निविदा फार्म कर्य करने का मूल्य ₹. 5000.00 (पाँच हजार मात्र) निर्धारित हैं यह राशि किसी भी दशा में वापसी योग्य नहीं है।
3. निविदा की अमानत राशि रूपये **250000/-**-(दो लाख पचास हजार मात्र) का भुगतान ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से ही स्वीकार किया जावेगा। निविदाकार को अमानत राशि पर किसी भी प्रकार का ब्याज देय नहीं होगा।

4. निविदाकार को निविदा प्रपत्र एवं उसके साथ संलग्न कागजातों के प्रत्येक पृष्ठ पर अपने हस्ताक्षर करना चाहिये।(Online purchased)
5. निविदाकार को निविदा के साथ सील बंद लिफाफे C मे सूखे सामानों का नमूना जो पारदर्शी कंटेनर मे हो संलग्न करना अनिवार्य होगा। लिफाफे के उपर सूखे सामग्री का नमूना लिखा होना चाहिये।
6. निविदा के साथ आयकर पैन न. व जी.एस.टी. नम्बर की छायाप्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
7. निविदा के साथ वित्तीय वर्ष 2016–17 एवं 2017–18 आयकर जमा करने के चालान की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।
8. चिकित्सालय की क्रय समिति को किसी भी अथवा समस्त निविदाओं को बिना कारण बताये निरस्त/अमान्य करने का अधिकार होगा।
9. सामान्यतः न्यूनतम मूल्य दर की निविदा को स्वीकार किया जावेगा, तथापि क्रय समिति शासनहित/जनहित में समग्र रूप से विचार करते हुये अन्यथा निर्णय लेने हेतु अधिकार सम्पन्न होगी।
10. स्वीकृत निविदा, स्वीकृति की तिथि से सामान्यतः एक वर्ष की समयावधि तक के लिये होगी। यदि किसी कारणवश नई निविदा प्रभावशील होने मे विलंब होता है तो नवीन निविदा प्रभावशील होने तक पूर्व शर्तों एवं दरों पर खाद्य सामग्रियों का प्रदाय करना अनिवार्य होगा।
11. समस्त खाद्य सामग्री का प्रदाय चिकित्सालय की पाकशाला भण्डार (किचेन) पर अधिकृत किये गये पदाधिकारी के लिखित/मौखिक/दूरभाष पर दिये गये आदेशानुसार प्रतिदिन निर्धारित समय के भीतर प्रदाय करना अनिवार्य होगा।
12. स्वीकृत निविदा प्रभावशील रहने की अवधि में जनहित की आवश्यकता के अनुरूप निविदा के निबंधन एवं शर्तों में परिवर्तन करने का अधिकार चिकित्सालय की क्रय समिति के पास सुरक्षित है।
13. देयकों का भुगतान शासन से बजट प्राप्त होने व कोषालय से आहरण के पञ्चात किया जावेगा। जिसमें समय भी लग सकता है। किसी भी प्रकार अग्रिम भुगतान नहीं किया जावेगा तथा किसी भी राशि पर ब्याज देय नहीं होगा।
14. निविदाओं के संबंध में क्रय समिति का निर्णय सभी निविदाकारों को मान्य एवं बंधनकारी होगा।
15. सामग्री की मात्रा चिकित्सालय की मांग अनुसार घटाई एवं बढ़ाई जा सकती है।
16. प्रदाय की जाने वाली समस्त खाद्यय सामग्री उच्च गुणवत्ता की होनी चाहिये। जिन सामग्री में एगमार्क उपलब्ध हो एगमार्क की ही दी जावें। प्रदाय सामग्रियों की गुणवत्ता की जांच प्राधिकृत अधिकारी द्वारा समय–समय पर की जावेगी। यदि गुणवत्ता मे कमी पाई जायेगी तो अर्थदण्ड लगाया जावेगा तथा ठेका निरस्त किया जा सकेगा।
17. यदि निविदाकार मांग अनुसार सामग्री की पूर्ति करने में हीलाहवाली करता है, सामग्री गुणवत्ता पूर्ण नहीं पाई जाती है तो वैधानिक कार्यवाही की जा सकेगी तथा जमा अमानत राशि राजसात कर ली जावेगी।

18. प्रदाय की जाने वाल खाद्य सामग्री, सब्जियां, फल, मसाले इत्यादि उच्च गुणवत्ता युक्त होनी चाहिये । खराब सामग्री के कारण चिकित्सालय में भर्ती किसी भी मरीज को किसी प्रकार का नुकसान होता है तथा जांच में सिद्ध पाया जाता है तो उसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी निविदाकार की होगी । इस पर वैधानिक कार्यवाही भी निविदाकार के विरुद्ध की जावेगी ।
19. खाद्य सामग्री की दरें निविदा स्वीकृति के समय तहसीलदार रीवा से प्राप्त दरों की सीमा के भीतर ही स्वीकार होंगी । तहसील दर से ऊपर की दरें प्राप्त होने पर न्यूनतम निविदाकार को तहसील दर पर ही खाद्य सामग्री प्रदाय करना अनिवार्य होगा । प्रदाय की गई सामग्री में एम.आर.पी की दरें यदि स्वीकृत दर से अधिक हैं तो स्वीकृत दर पर तथा एम.आर.पी. यदि स्वीकृत दर से कम हैं तो एम.आर.पी दर पर क्य की जावेगी ।
20. सभी विवादों का निपटारा रीवा स्थिति माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार अन्तर्गत होगा ।

संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक
गांधी स्मारक चिकित्सालय, रीवा म.प्र

तकनीकी बिड हेतु प्रपत्रः— बी

(पूर्ण रूप से भर कर एवं हस्ताक्षरित कर लिफाफे को सील बंद करें एवं लिफाफे पर प्रपत्र बी स्पष्ट रूप से उल्लेखित करें)
निविदाकार द्वारा तकनीकी बिड हेतु प्रस्तुत की जाने वाली जानकारी

| स. क्र. | तकनीकी मापदण्ड हेतु अनिवार्य दस्तावेज | निविदाकार के द्वारा टिक किया जावें। पृष्ठ क. दर्शायें। | परीक्षण समिति द्वारा टिक किया जावें। | | |
|------------|---|---|--------------------------------------|-----|------|
| | | हाँ | नहीं | हाँ | नहीं |
| 1. | अमानत राशि रु. 2.5 लाख ऑनलाईन जमा करने की रसीद की छायाप्रति | | | | |
| 2. | मूल निविदा प्रपत्र हस्ताक्षर एवं सील सहित (Online purchased) | | | | |
| 3. | फर्म/दुकान की स्थापना के पंजीयन की छायाप्रति। | | | | |
| 4. | वित्तीय वर्ष 2016–17 एवं 2017–18 (एसेसमेंट ईयर 2017–18 एवं 2018–19) का आयकर रिटर्न जमा करने की स्वयं द्वारा सत्यापित छायाप्रति) | | | | |
| 5. | 100.00 राशि के नान जूडिसियल स्टेम्प पेपर पर शपथ पत्र मूलतः | | | | |
| 6. | पैन कार्ड की छायाप्रति | | | | |
| 7. | जी.एस.टी. रजिस्ट्रेशन की छायाप्रति | | | | |
| 8. | बन्द लिफाफे में रखे सूखे नमूने एवं उनकी सूची। | | | | |
| 9. | वार्षिक टर्न ओवर संबंधी प्रमाण पत्र सी.ए. द्वारा जारी। (रु 10.00 लाख वार्षिक से कम नहीं होना चाहिये वर्ष 2017–18) | | | | |

निविदाकर्ता संस्था प्रमुख के हस्ताक्षर

निविदाकर्ता संस्था प्रमुख का नाम

(स्पष्ट अक्षरे)

संस्था का नाम एवं पूर्ण पता एवं सील

मो.न.....

—घोषणा—पत्र—

(100/- रुपये के नान-ज्यूडिसियल स्टाम्प पेपर पर प्रस्तुत किया जाये)

1. मैं/हम भारत का/के नागरिक हूँ/हैं।
2. मैं/हम भारतीय संविदा अधिनियम के अनुसार निविदा कार्य के लिए सक्षम हूँ/हैं।
3. मुझे/हमें म.प्र. शासन के किसी भी विभाग द्वारा निविदाकार्य से बहिष्कृत नहीं किया गया है।
4. मैं/हम किसी ऐसे कान्ड्रेक्टर, जो कि म.प्र. शासन के किसी विभाग द्वारा बहिष्कृत किया गया हो, न तो अभिकर्ता हूँ/है और न ही उसके लिये कार्य करता हूँ/करते हैं।
5. मेरे/हमारे द्वारा निविदा की शर्तों के अलावा अन्य कोई शर्त प्रस्तुत नहीं की गयी है। यदि अन्य कोई शर्त प्रस्तुत की गयी है, तो उसे अमान्य माना जाये।
6. श्यामशाह चिकित्सा महाविद्यालय/संजय गांधी स्मृति चिकित्सालय/गांधी स्मारक चिकित्सालय रीवा के किसी अधिकारी/कर्मचारी से संबंध नहीं है।
7. मेरे/हमारे द्वारा इस निविदा में भरी मूल्य दर से कम मूल्य दर की निविदा मध्यप्रदेश राज्य के किसी संस्था या कार्यालय में प्रस्तुत नहीं की गई है।
8. मेरे/हमारे द्वारा उपलब्ध कराई गई सामग्री की गुणवत्ता की संपूर्ण जिम्मेदारी मेरी/हमारी होगी।
9. हमारी संस्था के विरुद्ध सी.बी.आई०/लोकायुक्त/ई.ओ.डब्ल्यू/षासकीय कार्यालय इत्यादि में कोई जांच लबित नहीं है और न ही सक्षम न्यायालय में आपराधिक प्रकरण दर्ज है और न ही दण्डित किया गया है।
10. मेरे द्वारा प्रस्तुत जानकारी सही है। असत्य पाये जाने पर मेरे विरुद्ध विधिसम्मत कार्यवाही किए जाने पर मैं स्वयं उत्तरदायी रहूँगा।

दिनांक:

(निविदाकार के हस्ताक्षर एवं सील)

नाम—

पूरा पता—

फोन एवं सोबा. न.—

गवाहों के नाम, पते एवं हस्ताक्षर

1.

2.

3.

लिफाफा सी नमूना हेतु

| क्र. | सूखी सामग्री का नाम |
|------|---------------------|
| 1. | |
| 2. | |
| 3. | |
| 4. | |
| 5. | |
| 6. | |
| 7. | |
| 8. | |
| 9. | |
| 10. | |
| 11. | |
| 12. | |
| 13. | |
| 14. | |
| 15. | |

स्थान :—

दिनांक :—

निविदाकार के हस्ताक्षर
एवं सील

प्राइस बिड केवल आनलाईन भरा जावे

प्रदाय की जाने वाली सामग्री उच्च गुणवत्ता युक्त होनी चाहिये।

| क्र. | वस्तु का नाम | अनुमानित मात्रा | दर प्रति किलो अंकों में | दर शब्दों में |
|--------------------------|--|-----------------|-------------------------|---------------|
| <u>प्रवर्ग—1</u> | | | | |
| 1. | गेहूं | 400 किवंटल | | |
| 2. | गेहूं का पिसा हुआ आटा 25 किलो की बोरी | 300 किवंटल | | |
| 3 | चावल | 200 किवंटल | | |
| 4 | दाल अरहर छिल्कारहित | 250 किवंटल | | |
| 5 | दाल मूंग छिलका युक्त | 50 किवंटल | | |
| 6 | मसूर खड़ी | 01 किवंटल | | |
| 7 | चना दाल | 01 किवंटल | | |
| 8 | सफेद तिल | 03 किवंटल | | |
| 9 | गेहूं की पिसाई (आटा / दलिया सफाई एवं ढुलाई सहित) | 400 किवंटल | | |
| 10 | बेसन (चना) | 02 किवंटल | | |
| <u>प्रवर्ग —2</u> | | | | |
| 1. | हल्दी पिसी | 02 किवंटल | | |
| 2. | धनिया खड़ी | 02 किवंटल | | |
| 3. | जीरा खड़ा | 02 किवंटल | | |
| 4. | मिर्चा पिसा | 02 किवंटल | | |
| 5. | नमक पिसा आयोडिन युक्त | 25 किवंटल | | |
| 6. | शक्कर रबेदार | 30 किवंटल | | |
| 7. | गुड़ सूखा पुराना | 30 किवंटल | | |
| 8. | भूजां चना | 02 किवंटल | | |
| 9. | मूगफली दाना | 10 किवंटल | | |
| 11. | लाई मूरमूरा | 02 किवंटल | | |
| 12. | सूजी | 01 किवंटल | | |
| 13. | पोहा | 30 किवंटल | | |
| 14. | सोंठ | 01 किवंटल | | |
| 15. | चायपत्ती | 03 किवंटल | | |
| 16. | दूध पाउडर (अमूल) | 01 किवंटल | | |
| 17. | प्रोटीन पावडर | | | |
| <u>प्रवर्ग— 3</u> | | | | |
| 1. | बैगन | 20 किवंटल | | |
| 2. | लौकी | 30 किवंटल | | |
| 3. | कोहड़ा हरा | 30 किवंटल | | |
| 4. | आलू | 30 किवंटल | | |
| 5. | फूल गोभी | 10 किवंटल | | |
| 6. | पत्ता गोभी | 10 किवंटल | | |
| 7. | टमाटर पका | 30 किवंटल | | |
| 8. | पालक भाजी | 10 किवंटल | | |
| 9. | परवल | 05 किवंटल | | |
| 10. | बरबटी | 05 किवंटल | | |
| 11. | भिण्डी | 05 किवंटल | | |
| 12. | प्याज | 30 किवंटल | | |
| 13. | लहसुन | 02 किवंटल | | |

| | | | | |
|-------------------|--|------------|--|--|
| 14. | मूली | 05 विंटल | | |
| 15 | गाजर | 05 विंटल | | |
| 16 | खीरा | 20 विंटल | | |
| 17 | ककड़ी | 05 विंटल | | |
| 18. | गिलकी (रिरुआ) | 10 विंटल | | |
| 19. | चुकंदर | 05 विंटल | | |
| 20. | हरी मिर्च | 02 विंटल | | |
| प्रवर्ग-04 | | | | |
| 1. | मुसम्मी (1 किलो मे 6 से 8 पीस तक) | 200 विंटल | | |
| 2. | सेव फल (1 किलो मे 6 से 8 पीस तक) | 200 विंटल | | |
| 3. | संतरा (1 किलो मे 6 से 8 पीस तक) | 200 विंटल | | |
| 4. | केला पका (1 किलो मे 6 से 8 पीस तक) | 500 विंटल | | |
| 5. | पपीता | 01 विंटल | | |
| 6. | डबल रोटी | 05 विंटल | | |
| 7. | अण्डा (मुर्गी) | 15000 नग | | |
| 8. | पंचमेवा (नारियल,छोहरा,मखाना,किशमिश,पोस्तादाना) | 10 विंटल | | |
| 9. | बिस्कुट (पार्ले-जी बंद पैकेट) | 100 विंटल | | |
| 10. | बिस्कुट (ब्रिटानिया बंद पैकेट) | 100 विंटल | | |
| 11. | बिस्कुट (शुगरफी-न्यूट्रीचॉइस बंद पैकेट) | | | |
| 10. | टोस्ट | 20 विंटल | | |
| प्रवर्ग-5 | | | | |
| 1. | दूध 5 प्रतिशत चिकनाई | 15000 लीटर | | |
| 2. | पनीर | 01 विंटल | | |
| 3. | मट्ठा | 02 विंटल | | |
| प्रवर्ग-6 | | | | |
| 1. | खाद्य तेल (रिफाइंड सोयाबीन आयल एगमार्क सील्ड पैक 15 लीटर) 1. महाकोष 2. फारचून 3. सनरिच(रिफायण्ड सनफलॉवर सीड आयल) 4. सरसों तेल पतंजली | 300 टिन | | |
| 2. | नारियल तेल (सील बंद एगमार्क) | 50 लीटर | | |
| 3. | देशी धी (सील बंद एगमार्क) 1. सांची 2. अमूल 3. पतंजली | 500 लीटर | | |

नोट:-उपरोक्त सामग्री की मात्र एक वर्ष के लिये अनुमानित है। चिकित्सालय मे भर्ती मरीजों की संख्या के आधार पर सामग्री घटाई एवं बढाई जा सकेगी।

स्थान :-

दिनांक :-

निविदाकार के हस्ताक्षर
एवं सील